

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 156/2012 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

बसंत सिंह पुत्र बरनाम सिंह तोमर उम्र 35 वर्ष
निवासी ग्राम सर्वा थाना गोहद चौराहा, जिला
भिण्ड म.प्र.।अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कु0 शैलजा गुप्ता
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 330/2012 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 156/2012

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री जयवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 30-01-2015 को घोषित किया गया//

01. अभियुक्त बसंत सिंह का विचार धारा 302 भा0दं0वि0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। आरोपी पर आरोप है कि दिनांक 15.04.2012 को रात के 12-01 बजे के करीब मृत्तिका का घर ग्राम सर्वा थाना गोहद चौराहा में अपनी पत्नी चंदा की साशय या जानबूझकर पत्थर की सिल से कुचलकर मृत्यु कारित कर हत्या की।
02. यह अविवादित है कि मृत्तिका चंदा जो कि आरोपी बसंत सिंह की पत्नी थी तथा उनके एक पुत्री भी है जो कि साक्षी भारती के रूप में है।
03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 15.04.2012 को सूचनाकर्ता महीपत सिंह जो कि मालनपुर फैक्ट्री में नौकरी करता है, खाना खाकर रात को सो गया था। रात को 12-01 बजे के करीब उसके पिता ने बताया कि बहू चंदा को बसंत ने मार डाला है, उसने पूछा तो उसके पिता बरनाम ने बताया कि बहू चंदा के सिर पर सिल पटक दी है जल्दी जाकर देखो तो आरोपी बसंत उसे घर से आते हुए रास्ते में मिला वह सिर पर चादर बाँधे हुए था उसमें खून लगा हुआ था जिसे कि बल्व के उजाले में देखा था और वह पेंट शर्ट भी पहने देखा था। फरियादी ने जल्दी जाकर अंदर देखा तो उसकी भाभी चंदा घर

के आगे टीनसेट में जमीन पर पड़ी थी और सिर पर पत्थर की सिल पड़ी थी जिससे सिर फट गया था और सिर का मांस बाहर आ गया था, दीवाल पर खून के छीटें पड़े थे, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फरियादी ने बाहर आकर रामू तोमर, अपने भाई गुलाब सिंह, दिनेश और गाँव के कमलसिंह को भी बताया था। उसकी भाभी चंदा उसके भाई बसंत सिंह को शराब पीने से रोकती थी इसी कारण बसंत सिंह उसकी मारपीट करता था। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्र.पी. 5 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी तथा प्र.पी. 4 की मर्ग रिपोर्ट दर्ज की गई, मृतिका के शरीर का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया एवं शव का शव परीक्षण कराया गया। शव परीक्षण रिपोर्ट में उसके सिर में आई चोटों से शॉक में जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाना उल्लेखित किया गया। मृतिका के कपड़ों की जप्ती प्र. पी. 17 के अनुसार की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं पत्थर की सिल और प्लास्टिक की थैली में चूड़ी के टुकड़ों की जप्ती प्र.पी. 10 के अनुसार की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 8 के अनुसार तैयार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई तथा उसे गिरफ्तार कर उससे एक चादर जिसमें खून लगा हुआ था और शर्ट व पैंट की जप्ती जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 के अनुसार की गई। जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण कराने हेतु न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने बताया है कि घटना दिनांक को वह ग्राम सर्वा के कल्लू तथा छीमका के बंटी राजपूत के साथ दंदरौआ धाम गया था। उसे जानकारी मिली कि किसी ने उसकी पत्नी को मार दिया है तब वह वहाँ आया। उसकी पुत्री भारती उसके भाई के यहाँ रहती थी। प्रकरण में उसे झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है

- कि:-
1. क्या दिनांक 15.04.2012 के करीब मृतिका चंदा की मृत्यु हुई?
 2. क्या मृतिका चंदा की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का है?
 3. क्या आरोपी के द्वारा मृतिका की साशय या जान-बूझकर मृत्यु कारित कर हत्या की गई?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक. 1 व 2

07. डॉ० आर० विमलेश अ० सा० 9 के अनुसार दिनांक 15.04.12 को मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना गोहद चौराहा के द्वारा लाए जाने पर मृतिका चंदा देवी पत्नी बसंत सिंह के शव का परीक्षण सुबह 10:30 बजे किया था। मृतिका जो कि करीब 32 वर्ष की उम्र की महिला थी जो चित अवस्था में शव परीक्षण टेबिल पर लेटी हुई थी जिसका सिर बाएं ओर मुड़ा हुआ था, शव पीला दिखाई दे रहा था, शरीर पर अकडन गर्दन के नीचे मौजूद थी। मृतिका ब्लाउज, साक्षी और पेटीकोट पहने हुई थी जिन पर खून के निशान लगे हुए थे। सिर एवं चेहरा कुचलने के कारण अपनी सामान्य स्थिति में नहीं था जो कि पिचक कर चपटा हो गया था, हड्डियाँ टूटी हुई थी एवं मस्तिष्क के टुकड़े होकर चेहरे एवं बालों से लगे हुए थे। सिर की समस्त हड्डियाँ टूटी हुई थी और जबड़े की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई थी। सिर की हड्डियाँ 4 से.मी. गुणा 3 से.मी. से 2.1 से.मी. गुणा 1.4 से.मी. आकर में टूटी हुई थी, कुछ छोटे छोटे टुकड़े ऐसे थे जिन्हें गिना नहीं जा सकता था। सिर की हड्डियों से ब्रेन निकल जाने के कारण खोखली गुफा के रूप में दिखाई दे रहा था। ब्रेन के कुछ टुकड़े, टूटे हुए स्कल वहाँ की हड्डियों से चिपके हुए थे जो कि टुकड़े 4.6 से.मी. गुणा 3.6 से.मी. आकार में थे। दोनों आँखें खुली हुई थी और पुतली फेली हुई थी। आँखों के पलक एवं आँखों में खून के धब्बे थे, मुँह की दाईं तरफ दाँत दिखाई दे रहे थे जो कि संख्या में चार थे। जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ के सभी आंतरिक अंग फ्रेक्चर हो गए थे।

08. साक्षी ने आगे यह बताया है कि मसल्स एवं रक्त वाहिनियाँ, ब्रेन मटेरियल, जमा हुआ रक्त उपस्थित था। चेस्ट, बक्षगुहा को खोलने पर लगभग डेढ़ लीटर खून भरा हुआ था और बहुत सारे खरौंच के निशान थे जिनकी संख्या 8 थी जिनका आकार 8.3 से.मी. गुणा 1/2 से.मी. से लेकर 1/2 से.मी. गुणा 1/4 से.मी. के थे जो कि छाती की दोनों ओर उपरी हिस्से में थे। उक्त सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की थी। मृतिका के सिर तथा छाती की चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी जो कि परीक्षण के 24 घण्टे की अवधि की थी। मृतिका के दोनों तरफ की 1 से 9 तक की पसलियाँ टूटी हुई थी तथा 2 से 8 तक की बाईं तरफ की पसलियाँ टूटी हुई थी। मृतिका के फेंफड़ों में टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े फसे हुए थे, दोनों फेंफड़े पेलोर थे, फेंफड़ों के उपर की झिल्ली टूटी हुई थी। हृदय का दाहिना कोस्ट फटा हुआ तथा खाली था। मृतिका का यकृत, तिल्ली, गुर्दा पेलोर थे, मृतिका के मूत्राशय में अर्द्ध मात्रा में मूत्र होना पाया गया था। अपने अभिमत में उनके द्वारा बताया गया है कि मृतिका की मृत्यु

उसके सिर तथा छाती में आई हुई चोटों के कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण उत्पन्न सदमे से हुई थी जो कि परीक्षण के 18 घण्टे के अंदर की थी उनके द्वारा तैयार शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 16 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के यह भी बताया है कि मृतिका की मृत्यु उसके हृदय एवं मस्तिष्क में आई हुई चोट के कारण हुई थी।

09. मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हो जाने की पुष्टि महीपत सिंह अ0सा0 2, दिनेश अ0सा0 3, रामू अ0सा0 4, गोगुलसिंह अ0सा0 5, भारती उर्फ भगवती अ0सा0 6, कमलसिंह तोमर अ0सा0 7, मनोज शुक्ला अ0सा0 8 तथा विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी महेश शर्मा अ0सा0 11 के कथन से भी होती है जिनके द्वारा मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हो जाना अपने साक्ष्य कथन में बताया है।

10. मृतिका चंदा बाई की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में साक्षी कमलसिंह तोमर अ0सा0 7 जो कि घटना की जानकारी होने पर कि बसंत की पत्नी की मृत्यु हो गई है आरोपी बसंत के घर पर गया और उसने देखा था कि बसंत की पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके सिर आदि पर चोट होकर खून निकल रहा था। पुलिस ने सफीना फार्म प्र.पी. 6 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और लाश का पंचायतनामा प्र.पी. 7 बनाया गया था। इस संबंध में महीपत अ0सा0 2 जिसके द्वारा मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हो जाने की सूचना थाना में दी गई थी। अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी. 4 और लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। सफीना फार्म प्र.पी. 6 और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 7 बनाया जाना उन पर भी अपने हस्ताक्षर होना उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार साक्षी दिनेश अ0सा0 3 के द्वारा भी मृतिका चंदा बाई संबंध में सफीना फार्म प्र.पी. 6 व लाश पंचायतनामा प्र.पी. 7 बनाया जाना का समर्थन उसके द्वारा किया गया है। साक्षी गोगुल अ0सा0 5 ने भी सफीना फार्म प्र.पी. 6 और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 7 बनाये जाने की पुष्टि की है। मृतिका चंदा की मृत्यु के उपरांत उसका लाश पंचायतनामा, सफीना फार्म प्र.पी. 6 और 7 तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद चौराहा महेश शर्मा अ0सा0 11 के द्वारा भी बनाया जाना बताया गया है। लाश पंचायतनामा प्र.पी. 7 में यह उल्लेख आया है कि मृतिका की मृत्यु सिर पर सिल पटकने से आई चोटों के कारण हुई है। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर आर0विमलेश अ0सा0 9 जिन्होंने मृतिका के शव का शव परीक्षण किया है के द्वारा भी मृतिका की मृत्यु सिर तथा छाती में आई हुई चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण उत्पन्न सदमे से होनी बताई गई है। मृतिका चंदाबाई की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में स्वभाविक रूप से किसी बीमारी या अन्य प्राकृतिक कारणों

से हुई हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है एवं न ही मृतिका की मृत्यु दुर्घटनात्मक अथवा आत्महत्या के प्रकार की होनी पाई जाती है। इस प्रकार मृतिका की मृत्यु की प्रकृति सदोश मानव वध की कोटि का होना प्रमाणित होता है।

11. इस प्रकार मृतिका चंदाबाई की मृत्यु होने का तथ्य प्रमाणित है तो यह भी प्रमाणित है कि मृतिका की मृत्यु सदोश मानव वध की कोटि का है। अब विचारणीय यह हो जाता है कि क्या मृतिका चंदाबाई की साशय या जानबूझकर आरोपी के द्वारा मृत्यु कारित कर हत्या की गई? क्या अभियोजन इस तथ्य को प्रमाणित करा पाया है?

12. घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा बताई जा रही चक्षुदर्शी साक्षिया भारती उर्फ भागवती अ0सा0 6 के द्वारा अपने कथन में आरोपी के घटना स्थल पर मौजूद होने अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किए जाने का कोई तथ्य अपने साक्ष्य कथन में नहीं बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में इस संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षिया के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती है।

13. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी महिपत सिंह अ0सा0 2, दिनेश अ0सा0 3, रामू अ0सा0 4, गोकुल अ0सा0 5 और कमलकिशोर अ0सा0 7 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। उक्त साक्षीगण के कथनों में भी कहीं भी घटना स्थल पर आरोपी की मौजूदगी का तथ्य भी नहीं आया है। इस संबंध में साक्षी कमलकिशोर तोमर अ0सा0 7 के द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि उसने बरनामसिंह को पूछा कि बसंत की बहू कैसे मर गई तो उसने बताया कि बसंत यह कहकर गया है कि उसने अपनी बहू को मार दिया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आरोपी बसंत न तो साक्षी कमलकिशोर को वहाँ पर मिला और न ही बसंत के द्वारा स्वयं अपनी पत्नी को मारने वाली बात जो कि स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है वर्तमान साक्षी को नहीं बताई गई। ऐसी दशा में साक्षी कमलकिशोर के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती है।

14. इस प्रकार अभियोजन प्रकरण के संबंध में कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में आरोपी की स्वीकारोक्ति के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर प्रकरण अविलंबित रहता है।

15. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में यह सुस्थापित न्यायिक सिद्धांत है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निश्चयात्मक होनी चाहिए और परिस्थितियों की ऐसी श्रंखला पूर्ण होनी

चाहिए जिससे कि यह निश्चित रूप से प्रमाणित है कि अपराध करने वाला ही अपराधी है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस संबंध में 1984 एस.सी.सी. क्रिमिनल 487 शरद विरदीचन्द्र वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं स्टेट ऑफ गोवा वि० संजय थकराल (2007) 3 एस.सी.सी. 755 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में प्रमाणित किए जाने वाले बिन्दुओं के संबंध में बताया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में निम्न परिस्थिति पूर्ण होनी चाहिए—

1. वह परिस्थिति जिसके आधार पर दोषसिद्ध का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह पूर्णतः प्रमाणित हो।
 2. इस प्रकार से प्रमाणित तथ्य के आधार पर मात्र इस बात की परिकल्पना होनी चाहिए कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है, अन्य कोई भी परिकल्पना जो कि आरोपी के अपराध करने के अतिरिक्त हो विद्यमान नहीं होनी चाहिए।
 3. परिस्थितियाँ जो कि बताई जा रही हैं वे निश्चयात्मक होनी चाहिए।
 4. परिस्थितियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह प्रमाणित तथ्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिकल्पना को नकारती हो।
 5. परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो कि इस बात को दर्शाती हो जो कि आरोपी के निर्दोश होने के तथ्य को किसी प्रकार से नहीं छोड़ती हो तथा इस बात को स्पष्ट दर्शाती हो कि इस बात की सभी संभावनाएं हो कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है।
16. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा आरोपी बसंत के अपराध में संलग्न होने के संबंध में जो परिस्थिति बताई जा रही है उसमें **प्रथम परिस्थिति** यह बताई गई है कि मृत्तिका की मृत्यु के पूर्व अंतिम बार आरोपी बसंत को अपनी पत्नी मृत्तिका चंदाबाई के साथ देखा गया था और उसे घटना से भागते हुए देखा गया है एवं दूसरी परिस्थिति यह बताई जा रही है कि आरोपी बसंत से चद्दर, उसकी शर्ट व पैंट जो कि आरोपी चद्दर सिर में बांधे हुए था और कपड़े पहने हुए था की जप्ती की गई है।

प्रथम परिस्थिति अंतिम बार साथ देखा जाना—

17. इस संबंध में अभियोजन प्रकरण के अनुसार जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 5 में उल्लेखित है कि आरोपी बसंत घटना के तुरंत पश्चात् घर से आता हुआ रास्ते में मिला था और अंदर जाकर देखा गया तो मृत्तिका चंदाबाई टीनसेट में जमीन पर पड़ी थी और

सिर पर पत्थर की सिल पड़ी थी जिससे सिर फट गया था।

18. इस बिन्दु पर घटना के रिपोर्टकर्ता महीपतसिंह अ0सा0 2 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि उसके पिता ने उसे आकर बताया कि बसंत की बहू मरी पड़ी है जिस पर पिताजी के साथ तथा अपने भाई गुलाब और दिनेश को घर से बुलाकर लाया, उसने पुलिस को सूचना दी थी और रिपोर्ट लिखाई थी, किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में यह नहीं बताय है कि उसने आरोपी बसंत को घटना स्थल से जाते हुए घटना के पश्चात् रास्ते में देखा था, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी इस बिन्दु पर उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे कि आरोपी बसंत के घटना के पश्चात् घटना स्थल के पास रास्ते देखा जाना प्रमाणित होता हो। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्नों में भी उसके कथनों में बसंत के उसे रास्ते में मिलने वाली बात का कोई समर्थन उसके कथनों में नहीं हुआ है। इस संबंध में प्र.पी. 9 के पुलिस कथन में ए से ए, बी से बी और सी से सी भाग का कथन पुलिस को न देना साक्षी के द्वारा बताया गया है।

19. उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी दिनेश अ0सा0 3 रामू अ0सा0 4, गोकुल अ0सा0 5, भारती उर्फ भागवती अ0सा0 6 के कथनों के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं हुआ है।

20. इस बिन्दु पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी कमलकिशोर तोमर अ.सा.7 के द्वारा यह बताया गया है कि महीपत ने उसे आवाज लगाई थी कि बसंत की बहू मर गई है उसके साथ चलो और उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसके पिता बरनामसिंह ने उसे बसंत की बहू के मरने के बारे में बताया है फिर महीपत के साथ बसंत के घर गया तो बसंत की पत्नी को सिर में चोट होकर खून निकल रहा था और जमीन पर पड़ी हुई देखा था, उसने बरनाम सिंह से पूछा कि बहू कैसे मर गई तो उसने बताया कि बसंत यह कहकर गया है कि उसने अपनी बहू को मार दिया है, किन्तु उक्त साक्षी के द्वारा भी आरोपी बसंत को मौके पर देखे जाने से इंकार किया है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षी कमलकिशोर तोमर जिसे कि अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित भी नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने बसंत को भागते हुए नहीं देखा था और उसके सामने बसंत ने महीपत से कोई बात भी नहीं की थी। इस संबंध में उक्त साक्षी मात्र सुना सुनाया साक्षी है कि बसंत के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है।

21. इस प्रकार अभियोजन के ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को घटना स्थल पर आरोपी बसंत को मृतिका की हत्या के पूर्व अंतिम बार देखा जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी कलियानसिंह व0सा0 1 का कथन कराया गया है उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि वह आरोपी बसंत के साथ दंदरौआ जहाँ कि बृन्दावन की रास पार्टी आई थी रास देखने के लिए गया था और उक्त रात को वहीं पर रुके थे, सुबह 6 बजे मोबाइल पर खबर मिली कि चंदा की हत्या हो गई तब गाँव में आए थे और चंदा को मृत हालत में देखा था, उसके जेबर आदि बिखरे पड़े हुए थे। इस प्रकार आरोपी बसंत को अंतिम बार मृतिका चंदा के पास देखे जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की पुष्टि नहीं होती है।

दूसरी परिस्थिति— आरोपी से घटना के पश्चात् जप्ती की कार्यवाही—

22. अभियोजन के द्वारा बताई गई अन्य परिस्थिति जिसमें कि आरोपी से चद्दर एवं उसके कपड़ों की जप्ती के आधार पर अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि घटना के पश्चात् उक्त वस्तुओं की जप्ती आरोपी बसंत से की गई है जोकि उसकी हत्या की घटना में संलिप्त करने का आधार है। इस बिन्दु पर विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी महेश शर्मा अ0सा0 11 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि घटना के पश्चात् उन्होंने घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं पत्थर की सिल जिस पर खून लगा हुआ था तथा चूड़ियों के टुकड़ों की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 तैयार किया था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि घटना दिनांक 15.04.12 को आरोपी बसंत को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ की गई थी जिसमें उसने बताया था कि जिस पत्थर की सिल से सिर पर पटकने से हत्या की गई है वह वहीं पड़ी हुई है और खून लगा हुआ चद्दर उठा के लाया हूँ और चलकर बरामद कराए देता हूँ जिस पर उन्होंने आरोपी के बताए अनुसार एक चाद हल्के पीले रंग की जिस पर खून लगा हुआ था जो कि आरोपी के सिर पर बंधे होने से जप्त किया गया था और एक शर्ट जिस पर भी खून लगा हुआ था, आरोपी के बदन से उतारकर जप्त की गई थी तथा मटमले कलर का पेंट भी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र. पी. 3 तैयार किया था। जहाँ तक आरोपी बसंत के मेमोरेडम कथन के आधार पर जप्ती का प्रश्न है इस संबंध में अभियोजन साक्षी टुण्डेराम अ0सा0 1 के द्वारा आरोपी से कोई जप्ती होने से इंकार किया है। इस बिन्दु पर अभियोजन के अन्य साक्षी आरक्षक मनोज शुक्ला अ.सा0 8 ने आरोपी बसंत से चद्दर की जप्ती एवं उससे शर्ट सफेद धारीदार जिसकी बाह में जलने का छेद और एक पेंट मटमले रंग का जिसमें खून के धब्बे थे की जप्ती किया जाना और जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

23. आरोपी बसंत से जप्त बताए गए उपरोक्त चद्दर एवं पेंट, शर्ट की जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है। यदि यह मान भी लिया जाए कि आरोपी बसंत से उपरोक्त कपड़ों की जप्ती हुई है जिसमें कि खून के धब्बे लगे हुए थे, किन्तु उक्त कपड़ों में लगा हुआ खून वास्तव में मृतिका का ही खून था यह प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.पी. 18 जिसमें कि घटना स्थल की मिट्टी व सिल जिसके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है और मृतिका चंदा की साड़ी और पेटीकोट तथा आरोपी बसंत से जप्त चादर, शर्ट व पेंट को परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है जो कि मौके से जप्त सिल "सी" एवं आरोपी से जप्त बताई गई चादर "ई", शर्ट "एफ" एवं पेंट "जी" तथा मृतिका की साड़ी और पेटीकोट "एच1" व "एच2" पर मानव रक्त होना पाया गया है तथा रक्त गुप का परीक्षण करने पर सिल और मृतिका के पेटीकोट पर गया रक्त 'ए' गुप का रक्त होना रिपोर्ट में आया है, किन्तु आरोपी से जप्त बताई जा रही चादर 'ई', शर्ट 'एफ' और पेंट 'जी' पर लगे हुए रक्त के गुप का परीक्षण करने पर चार ई के संबंध में सादा नमूना प्राप्त हुआ है तथा 'एफ' व 'जी' के संबंध में परीक्षण परिणाम अनिश्चित पाए जाने का उल्लेख प्र.पी. 18 में आया है। इस प्रकार यह तथ्य कि आरोपी बसंत से जप्त करना बताया जा रही चादर, पेंट व शर्ट पर जो रक्त लगा हुआ है वह उसी समूह का रक्त है जो कि घटना स्थल पर पाई गई सिल और मृतिका के पेटीकोट में लगा हुआ मृतिका के रक्त समूह का होना बताया जा रहा है इस परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी से जप्त किये जा रही चद्दर, पेंट व शर्ट का रक्त समूह मृतिका के रक्त समूह का रक्त होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। मात्र इस आधार पर कि घटना के करीब 15-16 घण्टे पश्चात् आरोपी से जप्त बताई जा रही चद्दर व कपड़ों के आधार पर आरोपी बसंत के द्वारा ही घटना कारित किया जाने के संबंध में बताई जा रही परिस्थितियाँ भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है।

24. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मृतिका चंदा की साशय या जानबूझकर मृत्यु कारित कर उसकी हत्या करने के संबंध में आरोपी बसंत के संबंध में लगाया गया आरोप के संबंध में अभियोजन का प्रकरण किसी चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य कथन के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है और इस संबंध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिसका कि उपरोक्त वर्णन किया गया है के आधार पर भी आरोपी को घटना में लिप्त होने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी दशा में यद्यपि मृतिका चंदाबाई की मृत्यु हो जाना जो कि उसकी हत्या की प्रकृति सदोष मानव वध की प्रकार का होना पाया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि मृतिका की मृत्यु हुई है, आरोपी जिसके संबंध में अपराध कारित किये जाने बावत् युक्तियुक्त

साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रमाणित नहीं हुआ है।

25. अतः अभियोजन प्रकरण को आरोपी बसंत के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पतो हुए आरोपी बसंत को धारा 302 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, पत्थर की सिल व चूड़ियों के टुकड़े तथा चद्दर, शर्ट, पेंट व शीलबंद पोटली अपील अवधि पश्चात् नष्ट मूल्यहीन होने से की जाए। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड